भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 445

दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनएलईएम में नई दवाएं

445. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक दवाओं की नई सूची (एनएलईएम) के एक भाग के रूप में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत कैंसर की दवाओं के साथ हृदय तथा फेफड़े संबंधी बीमारियों की दवाओं को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आपूर्ति में कमी के कारण निजी फार्मा कंपनियों तथा निजी अस्पतालों द्वारा बाजार में जीवन रक्षक दवाएं अधिक मूल्य पर बेची जा रही हैं;

(घ) देश में कैंसर, फेफड़े तथा हृदय संबंधी बीमारियों के लिए दवाओं की वहनीयता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में उत्पादन तथा आपूर्ति की गई कैंसर की औषधि तथा विदेशों से आयात की गई औषधि की मात्रा तथा मूल्य क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)</u>

(क) और (ख): जी, हां। कैंसर, हृदय और फेफड़ों की बीमारी के लिए दवाओं को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम), 2015 में शामिल किया गया है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), 2013 की अनुसूची-I में कैंसर, हृदय और फेफड़ों की बीमारी के लिए दवाएं क्रमशः खंड 8, 12 और 28 में सूचीबद्ध हैं।

(ग): सरकार को ऐसी किसी भी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(घ): (i) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने डीपीसीओ, 2013 के पैरा 2 (यू) के तहत 31 अक्टूबर, 2019 तक 859 अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्यों और 1067 नई दवाओं के खुदरा मूल्यों को निर्धारित किया है। इन फॉर्मूलेशनों में कैंसर, हृदय और फेफड़ों की बीमारी के लिए दवाइयां शामिल हैं। मूल्य निर्धारण से पहले लागू उच्चतम मूल्य की तुलना में डीपीसीओ, 2013 के तहत अनुसूचित फॉर्मूलेशनों की कीमतों में कमी का विवरण निम्नानुसार है:

अधिकतम मूल्य के संबंध में % कमी	फॉर्मूलेशनों की संख्या
0<= 5%	235
5<=10%	138
10<=15%	98
15<=20%	100
20<=25%	92

25<=30%	65
30<=35%	46
35<=40%	26
40% से अधिक	59
एनएलईएम 2015 में कुल	**859**

(ii) गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों की कीमतों की निगरानी की जाती है ताकि उनके एमआरपी में पूर्व बारह महीनों के दौरान एमआरपी से 10% से अधिक वृद्धि न हो।

(iii) एनपीपीए ने जुलाई, 2014 में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 19 के तहत 106 गैर-अनुसूचित मधुमेह-रोधी और हृदय रोग की दवाओं की कीमतें भी तय की हैं।

(iv) एनपीपीए ने आदेश का.आ. 1041 (अ) दिनांकित 27 फरवरी, 2019 के तहत 'ट्रेड मार्जिन तर्कसंगतकरण' एप्रोच के तहत 42 चुनिंदा गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर रोक लगाई है। इस एप्रोच द्वारा, इन दवाइयों के 526 ब्रांडों की एमआरपी 90% तक कम हो गई है। इस कदम के परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 984 करोड़ रूपए की वार्षिक बचत होगी।

(ङ): केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के विभिन्न बंदरगाह कार्यालयों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 से वर्ष 2018 (जनवरी) की अवधि के दौरान आयातित दवाइयों की मात्रा और मूल्य के साथ कैंसर दवाओं की कुल मात्रा और मूल्य इस प्रकार है:

<u>कैंसर दवाओं के आयात का विवरण (बल्क ड्रग्स):</u>

वर्ष	**मात्रा (कि.ग्रा.)**	**मूल्य (करोड़ रुपए में)**
2014	15269	29.24
2015	69628	28.42
2016	141828	58.51
2017	356387	57.11
2018	2985.54	86.27

<u>कैंसर दवाओं के आयात का विवरण (तैयार फॉर्मूलेशन):</u>

वर्ष	**मात्रा (संख्या)**	**मूल्य (करोड़ रुपए में)**
2014	805189	424.23
2015	1364869 +0.01 कि.ग्रा.	855.01
2016	2153573	914.54
2017	1532974 + 0.16005 कि.ग्रा.	807.72
2018	1662577.00	41.66

*****